न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	130/2021
CIS NO.	130/2021
CNR NO.	RJCH020002092021
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	186/2020
अंतर्गत धारा	279, 336 भारतीय दंड संहिता
पुलिसथाना	कोतवाली, चूरू

सरकार

बनाम

सुरजीत पुत्र महेन्द्रपाल उम्र 38 साल, निवासी लम्बोर खेडी थाना राजगढ जिला चूरू ।

- अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धाराः 279, 336 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ताः-श्री सुरेश कल्ला वास्ते अभियुक्त ।

Date of Offence	13.08.2020
Date of FIR	13.08.2020
Date of Chargesheet	19.01.2021
Date of Framing Charges	19.01.2021
Date of Commencement evidence	26.09.2023
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	01.06.2026
Arguments heard on	01.06.2026
Date of the Judgement	01.06.2026

-: निर्णय :- **दिनांकः-01.06.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रकरण के परिवादी श्री नसीब ने कानूनी कार्यवाही कराने बाबत रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 इस आशय कि पेश कि दिनांक 13.08.2020 को वह व गाडी जिसके नंबर नहीं आये है, जिसके अंदर जिसके अंदर विकास पुत्र भगवानाराम निवासी लीलकी, शिवलाल पुत्र

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कुशलपाल निवासी ग्राम परासरी (दतिया) और सुरेन्द्र पुत्र रिचपाल पचार निवासी लीलकी बैठे थे । राजगढ रोड पर लाम्बा पंप के सामने पहुंचने तो सामने से एक गाडी RJ1OCA9568 आई एवं वो गाडी ट्रक को ओवरटेक करती हुई गफलत व लापरवाही से चलाते हुए उनकी गाडी के सामने गलत साईड से आकर टक्कर मारी जिससे गाडी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई एवं उसे एवं शिशपाल को चोटे आई..... इत्यादि ।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिसथाना कोतवाली, चूरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 186/2020 अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 337 भारतीय दंड संहिता के तहत पंजीबद्ध कर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त सुरजीत के विरुद्ध धारा 279, 336 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उपरोक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।
3. अभियुक्त को धारा 279, 336 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो सुन-समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन में पीडब्ल्यू 01 नसीब, पीडब्ल्यू 02 शिवपाल सिंह, पीडब्ल्यू 03 विकास कुमार, पीडब्ल्यू 04 सुरेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 05 अमजद खान, पीडब्ल्यू 06 चंदनमल, पीडब्ल्यू 07 सुरेश कुमार के बयान लेखबद्ध किये गये ।
4. बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा-313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया व जाहिर किया कि वह निर्दोष है एवं गलत चार्जशीट पेश की है तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर बंद की गई।
5. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि -
    1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.08.2020 को किसी समय राजगढ रोड पर लाम्बा पंप के सामने से उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन कार नंबर RJ 1OCA9568 को तेजगति व लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण तरीके चलाकर मानवजीवन को संकटापित करते हुए परिवादी की हुडंई आई 20 कार के टक्कर मारी जिससे मानव जीवन या अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा संकटापन्न हुई?**
    2. **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?**
6. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप संदेह से परे

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अधिकतर गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है । अभियुक्त को संलिप्त करने बाबत ठोस साक्ष्य का पूर्णतः पत्रावली में अभाव है अंततः अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । पत्रावली व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया । उपरोक्त विचारणीय बिंदु संख्या 01 के तहत अभियोजन को निम्न दो बिंदु संदेह से परे प्रमाणित करने हैः-

A. आया वरवक्त दुर्घटना, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन अल्टो कार नंबर RJ10CA9568 पर चालक अभियुक्त सुरजीत था?

B. आया प्रकरण की दुर्घटना अभियुक्त द्वारा अपने उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाने के परिणामस्वरूप हुई है और उसमें परिवादी व अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा को संकटापित किया ?

विचारणीय बिंदु संख्या A पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार हैः-

इस संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 07 गवाह परीक्षित हुए है । प्रकरण का परिवादी पीडब्ल्यू 01 नसीब न्यायालय में अभियोजन के पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करता है । यह गवाह अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के तथ्यों तक को न्यायालय में अपनी साक्ष्य में समर्थित नहीं करता है । गवाह पीडब्ल्यू 02 शिवपाल सिंह, पीडब्ल्यू 03 विकास कुमार, पीडब्ल्यू 04 सुरेन्द्र कुमार भी न्यायालय में अभियोजन के पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करते हैं ।

गवाह पीडब्ल्यू 05 अमजद खान एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 व पी 8 का साक्षी है । गवाह पीडब्ल्यू 06 चंदनमल फर्द जब्ती आई 10 कार प्रदर्श पी 08 का साक्षी है । ये दोनों गवाह औपचारिक साक्षी है । गवाह पीडब्ल्यू 07 सुरेश कुमार प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुतकर्ता साक्षी है, जो जिरह में स्वयं द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया जाना स्वीकार करता है ।

इस प्रकार पत्रावली में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उसमें परिवादी व इस प्रकरण के दुर्घटना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी शिवपाल सिंह, विकास कुमार व सुरेन्द्र कुमार सहित अभियोजन का कोई भी गवाह दुर्घटना कारित करने वाली उक्त कार नंबर RJ10CA9568 पर चालक अभियुक्त सुरजीत होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देता है । परिणामतः अभियोजन यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दुर्घटना के वक्त चालक अभियुक्त सुरजीत दुर्घटना कारित करने वाले उक्त वाहन नंबर RJ10CA9568 पर चालक रहा हो ।

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **न्यायिक दृष्टांत संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1990(1)**RLW **पेज नंबर 96** में यह स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वरवक्त दुर्घटना अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन संचालित किया जा रहा था यह तथ्य प्रमाणित होने के पश्चात ही इस बिन्दू पर विचार किया जायेगा कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से संचालित किया जा रहा था।

10. हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रश्नगत वाहन तेज गति व लापरवाही से चलाया जा रहा था या नहीं, इस बिन्दू पर विवेचन अपेक्षित नहीं रह जाता है, क्योंकि अभियोजन युक्तियुक्त सन्देह से परे अभियुक्त दुर्घटना के वक्त उक्त वाहन नंबर **RJ10CA9568** पर चालक रहा हो, यह तथ्य ही प्रमाणित करने में असफल रहा है।

11. फलतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-279, 336 भारतीय दंड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होने से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

12. अतः अभियुक्त सुरजीत पुत्र महेन्द्रपाल उम्र 38 साल, निवासी लम्बोर खेडी थाना राजगढ जिला चूरू को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 336 भारतीय दंड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहे तथा इस बाबत प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा/जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जावें। प्रकरण में जब्तशुदा कागजात यदि अन्य कोई हो तो उनकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बाद गुजरने मियाद अपील संबंधित को लौटा दिये जावे।

14. अभियुक्त को धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता की पालनार्थ छः माह के लिए 10,000/- रूपए के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये जाते हैं।

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

15. निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(अजय कुमार पूनिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)